JAIPUR METRO

जयपुर मेट्रो रेल निगम

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय : प्रशासनिक भवन, मेट्रो डिपो, भृगु पथ, मानसरोवर, जयपुर
वेबसाईट : www.jaipurmetrorail.in CIN : U60221RJ2010SGC030630

JAIPUR METRO RAIL CORPORATION
Receipt No. 3216
Date 02/3/23

एफ.2(255) जेएमआरसी / 2017-18/ पार्ट–IV / 704 दिनांकः 2 मार्च, 2023

आदेश

विषयः– बैंक गारंटियों के सुरक्षित रखरखाव एवं वैद्यता अवधि समापन से पर्याप्त समय पूर्व संबंधित अधिकारी / उपापन संस्था के स्तर पर वांछित कार्यवाही बाबत्।

संस्थान में विविध प्रयोजनों यथा उपापन, अन्य संविदाओं आदि के परिप्रेक्ष्य में विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी ली जाती है। बैंक गारंटी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अतः इस संबंध में सुव्यवस्था हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किए जाते हैः–

1. वित्त निदेशालय में बैंक गारंटियों के संबंध में **वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (लेखा)** प्रभारी अधिकारी होंगे।
2. प्रत्येक बैंक गारंटी की प्राप्ति, अभिरक्षा, निर्गमन, अवधि आदि के अभिलेख हेतु निर्धारित रजिस्टर में प्रत्येक संव्यहार (Transaction) का अंकन किया जाएगा।
3. **माह की पहली तारीख को प्रतिभूति रजिस्टर (पत्रावली सहित) अवलोकन हेतु महाप्रबंधक (वित्त) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि उसमें निरीक्षणीय हस्ताक्षर अंकित करेंगे।**
4. प्रत्येक त्रैमास के प्रारम्भ में यह रजिस्टर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जाएगा।
5. अन्तर निदेशालय पत्राचार हेतु मूल बैंक गारंटी के स्थान पर उसकी प्रतिलिपि संलग्न की जावे।
6. **वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (लेखा) द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम दिवस को आगामी दो माह तक की वैद्यता अवधि वाली बैंक गारंटियों की सूची संबंधित निदेशालय को वांछित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी।**

(हरीश लड्ढा)
निदेशक (वित्त)

निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त पूर्णकालिक निदेशक, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर।
2. समस्त कार्यकारी निदेशक / महाप्रबंधक, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर।
3. वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (लेखा / प्रोजेक्ट) / कैशियर, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि.
4. नॉडल ऑफिसर, आईटी सेल कृपया इसे वेबसाईट पर 'आदेश' के रूप में अपलोड कराएं।

(के.के. शर्मा)
महाप्रबधक (वित्त)